

R-23/309

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम- 26)

अज अदालत- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम- नागौर

सायल

बनाम

गैरसायल

सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक, नागौर

मोहम्मद युसूफ पुत्र मोहम्मद याकूब जाति
मुसलमान निवासी न्यारियों का मौहल्ला खत्रीपुरा
नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर

किस्म इस्तगासा अधीन धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
मुकदमा नं. 20/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.10.23	<p>सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी नागौर द्वारा सायल की ओर से गैरसायल मोहम्मद युसूफ पुत्र मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान निवासी न्यारियों का मौहल्ला खत्रीपुरा नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर के विरुद्ध यह इस्तगासा अधीन धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर हो। सायल की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी नागौर की ओर से पेश हुआ, जो स्वीकार किया जाता है। गैरसायल जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 25.10.2023 को पेश हो।</p>	948 5.10
25.10.23	<p>अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर</p> <p>App 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1975 के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर हो। सायल की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी नागौर की ओर से पेश हुआ, जो स्वीकार किया जाता है। गैरसायल जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 25.10.2023 को पेश हो।</p>	